प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 07.06.2025**

थाना बिनौली पुलिस, स्वाट बागपत एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/352/103(1)/253 बीएनएस में वांछित 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों को उत्तराखण्ड से किया गिरफ्तार, अभियुक्त नवनीत की निशांदेही से हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

नांक 14.05.2025 को थाना बिनौली पर वादी वादी श्री गजेन्द्र तोमर पुत्र गम्भीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आयुष पुत्र सतेन्द्र 2. अर्जुन पुत्र सतेन्द्र निवासीगण ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के बडे भाई धर्मेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान सिरसली को गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से उसके ऊपर कई फायर किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा साथ में बैठे विनीत पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वादी के भाई धर्मेन्द्र उपरोक्त को मेरठ में न्यूट्रिमा अस्पताल के डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। उपरोक्त सम्पूर्ण घटना

अभियुक्त निर्भय सिंह पुत्र जिहाना निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा कराई गई है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस, स्वाट बागपत एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 144/2025 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 में वांछित 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों 1. नवनीत पुत्र सत्यवीर निवासी हर्रे नगंला उर्फ बेगमपुर हर्रे थाना नगीना जनपद बिजनौर 2. अर्जुन पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत आईटीसी कम्पन्नी थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया है। जिसमें अभियुक्त नवनीत से बाउम्मीदगी आला कत्ल की बरामदगी हेतु जंगल ग्राम सिरसली में ले जाया जा रहा था। बाद बरामदगी के अभियुक्त नवनीत द्वारा उ0नि0 दुर्गेश कुमार थाना बिनौली की सरकारी पिस्टल खोस्टा से निकालकर जंगल की तरफ भाग गया, जिसको थाना बिनौली पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त नवनीत द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। थाना बिनौली पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त नवनीत को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त नवनीत जिसके कब्जे से उ0नि0 दुर्गेश कुमार से छीनी गयी सरकारी पिस्टल मय 08 जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त नवनीत की निशांदेही से हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 163/25 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25-25 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था व नामित अभियुक्त अर्जुन

उपरोक्त व प्रकाश में आये अभियुक्त नवनीत उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूसें बरामद करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.नवनीत जाट उर्फ छोटू पुत्र सत्यवीर निवासी हर्रे नगंला उर्फ बेगमपुर हरे थाना नगीना जनपद बिजनौर। (घायलावस्था)

2.अर्जुन पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तारी दिनांक समय व स्थान- दोनों अभियुक्तों को दिनांक 07-06-2025 को समय 4.05 बजे आईटीसी कम्पन्नी थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

- हत्या की घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) 01 अवैध पिस्टल .32 बोर ।
- 01 सरकारी पिस्टल मय 08 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 271/16 302/307/120बी भादवि बिनौली जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 15/17 174ए भादवि बिनौली जनपद बागपत।
3-मु0अ0सं0 1050/17 307 भादवि बडौत जनपद बागपत।
4-मु0अ0सं0 153/17 506 भादवि बिनौली जनपद बागपत।
5-मु0अ0सं0 1051/17 25 आर्म्स एक्ट बडौत जनपद बागपत।
6-मु0अ0सं0 1051/17 411/414 भादवि बडौत जनपद बागपत।
7-मु0अ0सं0 144/25 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री शिवदत्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-श्री राकेश शर्मा प्रभारी निरीक्षक सर्विलान्स सैल मय टीम जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री सुर्यदीप प्रभारी स्वाट टीम मय टीम जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
6-है0का0 327 राकेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

7-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
8-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।
9-का0 301 मुलायम सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
10का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 07.06.2025

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 351/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351/131/109(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों सहित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 डन्डे व 02 फरसे बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07.06.2025 को थाना बड़ौत पर वादी दाउद प्रधान पुत्र अलीजान निवासी ग्राम आसिफपुर खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. गय्यूर पुत्र नसीमुद्दीन, 2.इरफान पुत्र नसीमुद्दीन, 3.आसिफ पुत्र नामालूम, 4.मुस्तकीम पुत्र उमरखा, 5.सुहेल पुत्र इरफान, 6.रिजवान पुत्र गय्यूर, 7.फरमान पुत्र नूरमोहम्मद, 8.नूरमौहम्मद पुत्र नसरु, 9. मुमताज पुत्र शकुरा, 10. तौसिफ पुत्र नाजर अली, 11.मुस्कान पत्नि मुस्तकीम ,12.नौशाद पुत्र मौहम्मद,13.इरशाद पुत्र मौहम्मद, 14.साहिन पत्नि आसिफ, 15.शमा पुत्री गय्यूर, 16. पप्पू पुत्र सुबेदीन निवासीगण ग्राम आसिफपुर खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत व 8-10 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर लाठी –डंडो व धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से उसके

व उसके परिजनों के साथ हमला कर मारपीट की गयी व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 351/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2) /352/351/131/109(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही

बडौत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 351/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351/131 /109(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों सहित 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 डन्डे व 02 फरसे बरामद । उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.गय्यूर पुत्र नसीबुद्दीन उम्र 55 बर्ष नि0 ग्राम आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत

2.आसिफ पुत्र इकबाल, उम्र 38 बर्ष नि0 ग्राम आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत

3.नूरमौहम्मद पुत्र नसरुद्दीन उम्र 58 बर्ष नि0 ग्राम आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत

4. तौसिब पुत्र नाजर अली उम्र 24 बर्ष नि0 ग्राम आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत

5. पप्पू पुत्र सुबेद्दीन उम्र 57 बर्ष नि0 ग्राम आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत

6. सोनू पुत्र मुनशब उम्र 21 बर्ष नि0 ग्राम आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत

7. राहिल पुत्र नीजामुद्दीन निवासीगण आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत

8. 02 अभियुक्ता ।

बरामदगी का विवरण-

- **04 डन्डे।**
- **02 फरसे।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2.उ0नि0 श्री बिरजू शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
3.उ0नि0 श्री मुन्नालाल थाना बडौत जनपद बागपत।
4.म0उ0नि0 पारूल वर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
5.है0का0 366 अंकित सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
6.है0का0 138 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
7.है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत।
8.म0है0का0 62 प्रीती थाना बडौत जनपद बागपत।
9.का0 420 राशिद थाना बडौत जनपद बागपत।